कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 691

दिनांक : 12 9 2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक, बारां।

> विषय :- गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में। Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/7000/2014 प्रसंग :- श्रीमान् उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन, जयपुर का पत्र क्रमांक एफ. 14()2018/बारां रोड़स/एफसीए/प्रमुवसं./1487–88 दिनांक 11.06.2024 के क्रम में।

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We submitting the reply for the EDS Raised by Forest Department for the Proposal as follows.

S. No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Repaly of EDS
A. Con	npliance of EDS Dated 29.07.2024 :-	
1	आप द्वारा पालना सीधे ही बिना अपनी बिन्दुवार पालना के प्रेषित की गयी है जो कि उचित नही है। भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार पालना प्रेषित करें।	रिपोर्ट इस कॉर्यालय के पत्रांक 55 दिनांक 18.04.2024 द्वारा प्रस्तुत की गई
2	प्रस्ताव में दिनांक 04.08.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है।लगभग पालना 8 वर्षों बाद पालना भेजी गयी है। पालना प्रेषित करने में हुए विलम्ब का कारण स्पष्ट करें। उप वन संरक्षक, बारां की बिन्दुवार पालना एवं No Violation Certificate अप्राप्त है।	एवं राज्य सरकार से NPV इत्यादि राशि देरी से प्राप्त होने के कारण बिन्दुवार पालना रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत की गई तथा
3	NGT आदेशों के प्रति सैद्धान्तिक स्वीकृति को अखबार में छाया (प्रकाशित) कर प्रति संलग्न की जानी है।	अखबारों की प्रति पनः संलग्न है।
4	प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि की नोटिफिकेशन प्रति संलग्न नही है।	
5	समेकित 103.4 है. का डिजीटल मानचित्र संलग्न नही है।	पूर्व में भी संलग्न कर दिया गया है। अब पुनः डिजीटल मानचित्र संलग्न किया जा रहा है।

र्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 678

दिनांक : /0/9 /2024

श्रीमान् उप वन संरक्षक. वारां।

> विषय – जनदप बारन में आर०आर०एर१०एम०पी० योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

> प्रसंग - आपका पत्र कमाक एफ() एफ.सी.ए./ उवस/2020-21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत पासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को विन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :--

क स		
शत् लख्य 1	यन भूमि की वैधानिक रिथति में कोई परिवर्तन नहीं होगा	शर्त सख्या 1 के तहत वन भूमि की वैचानिक रिश्वति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वनभूमि विमाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शत सख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुत्य गैर वनभूमि अर्थात 2.98 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867/- (2.98 है0 X Rs. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विमाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/- रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारा के पत्र क्रमांक एफ.0/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं के आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित करवाते सामय सभी परियोजनाओं के आने वाली य न भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित करने के लिये वारतविक भूमि आवंटित करने के पश्चात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि आवंटित करने के

मार्यालग अधिमार्था प्रतिय कार्यतिक

1.10

		102 4
A	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4
संख्या	लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल	है०) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
3	अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. बी.) की निर्धारित राशि रूपये– 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.यी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2. 98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक वारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/- एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन यैंक में ऑन लाईन जमा करा दी
शर्त संख्या 5	प्रयोवता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो ढढ़ी हुई धन राशि	HOUT E
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी। विधिवत् रवीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा	जत सख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे
शर्त संख्या 6	रतम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण क व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट जूंचे आर0सी0सी0 पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दरी दर्शायी जाएगी।	आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या ७	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पॉजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा रवीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	निर्माण भराव (Embankment) न कियो जायगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अत शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डज टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	। शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोन । तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो । वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किय 5 जायेगा. परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग व र स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

शत संख्या 9	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्ता संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा—निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है। संलग्न कर दी गई है।

in hir

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

<u>E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453-230244</u> क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023-24/585/ दिनांक २५-८-२०२५ निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,

कोटा।

विषय :- गोरधनपुरा से कालीमाटी सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव। Proposal no.FP/RJ/ROAD/6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भः– अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद के पत्र कमांक 55 दिनांक 18.04.2024 के कम में।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ के पत्र कमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को प्रकरण में रौद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है :--

क स		And a general second	
शते संख्या १	चन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक रिखति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 है0 गैर वन भूमि विभाग वे नाम आवंटित करा दी गई। जमावन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।	
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.98 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये 3,84,867 /- (2.98 है0 RS. 1,29,150 प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुत्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवष्यक धन राषि 2.98 है0 164100/- रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रू. केम्पा नई विल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। 101022/- केम्पा मद नई विल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।	
शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो संगेकित क्षेत्र (103.4 हैं0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु समोकत क्षेत्र (103.4 हा का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।	
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या	

Scanned with CamScanner

	5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेषानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित रापि रूपये- 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05 02 '2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन पी वी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2 98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राषि रू. 1865480/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन वैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। अवशेष राशि रू. 988705/- एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/- एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/- केम्पा मव नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनवद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराधि में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राधि	चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा प्रमाणित प्रति संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. यी.) की दरों में बढोत्तरी होने पर बढी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी। विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन ४' फीट ऊूंचे आर०सी०सी० पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देषांक,	संलग्न है। शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक
शर्त संख्या ७	पालर पर क्रमाक, डाठवाठपाठएसठ निषयाक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्पायी जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त संख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में संडक का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। संडक में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, राड़क निर्माण सामग्री वाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार संडक निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आपय का वचनवद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई०आर०सी० के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छळज) सेंट्रल जोन येंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 वाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेष की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद	अतः शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है। शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के रवीकृत तकगीने में नही लिया गया है।
शर्त	पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा	शर्त संख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं

2 देनिक समाचार पत्री (हिन्दी व अग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये। (अमिल यादव) उप वन संरक्षक बारां *010* दिनांक २५ - ५- २०२५ क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ज.व.स./2022-23/.5852 प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, थ्या नोडल अधिकारी राज0 जयपुर। 2.अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवाद। (अनिल यादव) उप वन संरक्षक वारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक : 55

श्रीमान् उप वन संरक्षक, बारां।

दिनांक : / ? 14/ Eery

विषय :- जनदप बांरन में आर०आर०एस०एम०पी० योजना के तहत (प्रकरण संख्या FP/RAJ/ROAD/7000/2014) गोरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हैं० वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु। प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/2020-21/9320 दिनांक 12.10.2020 के क्रम में।

महोदय,

THE TRY

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :--

क्र.स.		
शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	रिश्वति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.98 हैं0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल
शर्त संख्या 2		एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है। शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/- रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 101022/- की मांग की गई धी। उक्त राशि रू. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय समी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संमावित क्षैत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वास्तविक भूमि आवंटित करने के परचात् भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

शर्त संख्या 3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 है0) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
शर्त संख्या 4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी० दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. बी.) की निर्धारित राशि रूपये- 18.654 लाख (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 4 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2. 98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1865480/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स. /2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 988705/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/– एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा जाएगी।	शर्त संख्या 5 के तहत शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 6	विधिवत् स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4' फीट ऊूंचे आर०सी०सी० पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।	शर्त संख्या 6 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. पिल्लरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त सख्या 7 के तहत वन क्षेत्र में सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जायेगा। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण के दौरान किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अत: शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिसपोजल योजना की आवश्यकता नही होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 8	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई0आर0सी0 के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सेंट्रल जोन बेंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–27/2015 बाबूलाल, जाजू, बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.11.2015 में दिये गये आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग	शर्त सं. ८ की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा डमकपंद पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

	की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध हैं तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।	
शर्त संख्या 9	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त सख्या 9 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा–निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
	भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।	संलग्न कर दी गई है।

cydins

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्यका नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

Croniv

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की अनुपालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुत्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.98 है0 पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.98 है0 X 164100/- रू. प्रति हैक्टयर की दर से राशि 489018/- रू. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 101022/- की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 101022/- केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14. 03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। जिला कलक्टर बारां द्वारा गैर वन भूमि आवंटित करवाते समय सभी परियोजनाओं में आने वाली वन भूमि का संभावित क्षेत्रफल प्रस्ताव में लिया गया था। (प्रस्ताव दिनांक 11.09.2014 की प्रति संलग्न है।) जिला कलक्टर द्वारा आवंटित 103.40 है. वन भूमि में से विभिन्न परियोजनाओं के लिये वारतयिक भूमि आवंटित करने के पश्चात भी 12.43 है. गैर वन भूमि अधिशेष रहती है।

mint

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्यका नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु समेकित क्षेत्र (103.4 है0) का डिजिटल मानचित्र संलग्न है।

Dunt

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.'2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि रूपये– (2.98 है0 X Rs. 6.26 लाख प्रति है0) की दर से राशि रू. 1865480/– केम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23. 04.2019 को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां के पत्र क्रमांक एफ.()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/536 दिनांक 22.01.2024 द्वारा अवशेष राशि रू. 988705/– एवं दण्डात्मक राशि रू. 2283348/– की मांग की गई थी। उक्त राशि रू. 988705/– एवं राशि रू. 2283348 कुल राशि रू. 3272053/– केम्पा मद नई दिल्ली में दिनांक 14.03.2024 को चालान द्वारा यूनियन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।

25 minm

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से करवाकर गैर वन भूमि का हस्थानान्तरण वन को कर दिया जायेगा । प्रतिलिपि संलग्न कर दी गई है।

2 Zun My

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्यका नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि गोरधनपुरा से कालीमाटी सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नही होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही होगी।

min

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वन विभाग की निगरानी में वृक्षारोपण किया जायेगा, परन्तु वृक्षारोपण का प्रावधान विभाग के स्वीकृत तकमीने में नही लिया गया है।

n

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Gordhanpura to Kalimati under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/7000/2014 (2.98 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

2 ann

(हरि प्रसाद मीना) अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्भत जिला

ालकर वासं सारा आदेश कमांक ७२०-२६ दिनांक ०७.०२.२०१७ से विमनानुसार ाः चलम्मि (१०३.४० है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है। तहरीलि अन्ता वाम ताखा की निम्लसारणी अनुसार वर्णित मैर वनभूमि वानिकी कार्य हेतु उपयुक्त हे यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई

अतिकमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नही है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर ाजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है। रक्तबा (हेक्टर) खरारा नं. 2.25 1111 all and d 368 2.25 ताखा 1 किता

del

हरताधार जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी 1 वनरक्षक राष्ट्री (नारेन्ड शामा (ब.२.) 2 नाका प्रभारी छिर्दाभीडा ०८,०१/ग राजीव कपूर राप वन संरक्षका 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी हरताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी 1 राजीव फाप्स जप वन -1 हल्का पटवारी Cmelly 4201 11094 बारा L19(1) 2 कानूनगो अर्रे के Sjamm अशोक सनाहय) 6-9-17. अविशाषी अभियना

आहावार हणह . ही. से. ह

FCA letter 18-4-17

कार्यालय क्षेत्रीय तन अधिकारी, अन्ता प्रभाणित किता जाता है कि विभिन्न सहक परियोजनाओं के अन्तमत जिला ्यावित्य विश्वि आवित्य व्यवस्थित विश्ववित्त विश्ववित अर तजगूमि (103.40 रेंग) तथ विभाग के नाम आवंदित की मई है। गरन्तुहन्त अल्या भाग आंग्रहाल की लिग्रनसारणी अल्यास वणित ग्रंह वलग्रीम तिमेल्सी से इस कार्यालग दास मोके पर जाकर सम्भाल ली मई है। 38.91 1-135/14 tother function २ किता 21/11 हरताहार जमीन का ताची लेने ताले अधिकारी व कर्मचारी 2 - 11 AN WING CALLS IN MANY CON- 2 Elafta analetan ALCON FOID BURADIN हरवाहर जगान का मार्ज देने दोहो आधिकारी व कर्मवारी न्त कपर उप वन संरक्षयां बारौं " dayan (". and the second अधिमामी अफिलमा STITUS A RA TO BITS STIRING R $e^{-i t e \mathbf{R}_{i}} \in \hat{R}^{i} \neq R^{i},$ DEN EA IN Jabes ZIS : ON CPHYCEWBGe AWJ

Scanned by CamScanner

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियाजनाओं के अन्तर्गत जिला 1.-417 वासं क्षारा आदेश कमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार

ीर चलश्चि (103.40 है0) यल विभाग के नाम आयंटित की गई है। तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की लितनसारणी अनुसार वर्णित ज़ैर वनभूमि ालिको कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई

ातिकमण एवं ल्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समरत गैर वनभूमि यूज़र नय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

ाजीवरी से इस कार्यालय	BILL BILLS	i and the second	रकबा (हेक्टर)
	स ताउसील ग्राम	खरारा नं. 39	13.20
त-सं तान्साल क्रमना			5.00
A GESU		41	6.52
		114	5.60
		115	9.58
	1 77	116	7.70
	138	10.81	
	149	3.63	
		योग	62.24
	योग		

हरताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी 1 गगरहाक /122 (नारे-ट्र मार्ग (ध.२.) 2 नाका प्रमारी किश्राभावा ००१०१/17 राजीव कपूर ER ... उप चन संरक्षक 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी बारौँ अन्ता किंग बारी के अरताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी SLITTE ALE AT CAMININ STAR ELITE Northan May G 6/9/17 1 हल्का पटवारी

राजीव कपर वन संरक्षेक चारां

(अशोक सनाढय) अधिशापी अतिराना अ.मि.वि. सण्ड शाहायाद

2 कानूनगो जिन्द्र अस्ट -2.1.0 12/112,007 6-1-17

	नोनी)	1
जमाबन्दी (खेवट/ख (प्रतिलिपि)	ताना) अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2073 - 2076 जमावंदी 2076 (वर्ष 2019) से	
ा :- ताखा	स्थाया नि शायक का नाम :- राज.सरकार	
का :- मानपुरा :- खजूरनाकला	भूमि धारप क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर खाता संख्या नया :- 105 खाता संख्या पुराना :- 100	
. अन्ता बारों	राजरणा हिग	त्पणी
र का नाम:- ग्वन संरक्षक बारां वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संख्या क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण	संस्था के लिए कृषक द्वारा सिंचाई के साधन अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण टिग संदत्त लगान	
2.2500 जंगलात 2.2500 2.2500 2.2500 2.2500	0.00	
बसरे - 1 2.2500 2.2000 पत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है त उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के उ ज जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020	- 3 amontal	
16	(अशोक समाप अधिरापी अग्नियना अधिरापी हाण्ड शाहाबाद	

100 0.00

ALT I

Scanned by CamScanner

Samo

1.1.1 Ft Ft Ft Ft F

(अशोक सनाहरा) अधिमध्र अत्रियना

	क्षेत्रफल भूमि ।	el a n
रा संख्या	83.00	0 1500 0.00
	19.1500 गें.मु.जंगल	10,7500 0.00
173	ि न नगल	19.100-
175	13.10	2.0000
176	2.000	18.0000
1177	10.00	20.0000
27	20.00	1 32.0000
1528	32.00	a 31.000
1529	51.00	11.000-
1530	11.0	ITE 21.000
1531	21.0	ताल 20.000
1532	20.0	ane 15.000
1533	10.00	-intel 12.4000
1543	14.10	नंगल 11.4000
154	1 11.10	- TTH 24.0000
154	24.00	20.0000
155	20.0	म जंगल 15.200
	10.20	न नगल 0.0100
	0.010	- नंगल 9,0000
	9.000	हन नेगल 9.0000
	9.00	A T THE 9.0000
	9.0000	अंग जंगल 9.0000
-	9.0000	21 - TITE 9.0000
	9.0000	के जाल 13.0400
101	13,540	
CHIS *	6.0000	a - TTM 12.0000
320610	12.000	11.1000
TIW YC	1795 11.100	इन्त जगल 0.9000
BOOIES	0.900	and the 8.0000
HEIGH	8.000	A - TIT 12,0000
Description	12.0	ST TIM 1.3000
A-3 6900 e	9 7.56	at
lanager, Nd ageN evive	1799	0600 1.4.9.94
Z/S : ON	30 2130/1524	
YAWJIA	an	

नाम :- सोरसन	भूमि धारक का नाम - राजा	
	भूमि धारक का क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर क्षेत्रफल की इंकाई :- हैक्टेयर	
हल्का :- सोरसन	BATE 41 - 617	
हल्का	क्षत्रफल भा खाता संख्या नया :- 617	
इ.नि. :- सोरसन	खाता संख्या पुराना :- 1	
स :- अन्ता		flured
:- बारौं		िन नामान्तरकरण टिप्पणी
()- alt()		के क्रम में प्रमाणित नागा
- जा साम:-	जन के लिए सिचाई के साधन अन्तरण	के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण टिप्पणी ब दिनांक
तकार का गा 002 हिस्सा- पूर्ण		
तकार का नाम:- वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण	मे वर्गीकरण संदत्त लगान	
े लेगफले गूर	AND	

9	(खेवर/खतोनी) किलिपि)	
जमाबन्द	(जिम्म)	आधार सम्बतः - 2075 - 2078
	अंतिम चोमला	आधार
नाम :- सोरमन	भूमि धारक क	त्नाम :- राज.सरकार
ज्ला :- सोरसन	ेनामल की द	काई :- हैक्टेयर जगा :- 617

18 जमावेदी 2076 (वर्ष 2019) म

Scanned by CamScanner

CBI

- 34 502.8500 जयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है | गरी करने की तिथि :- 14-Sep-2020 (अशोक सनाढ्य)

अधिराभी अभियत्मा

ा.नि.वि. क्रण्ड शाहाजाद

76 16.0600 गे.मु.वरडा 16.0600 0.00

21.3800 र्श.मु.जंगल 21.3000 16.0600 गै.मु.जंगल 16.0600 0.00

15

LIM AG S No be BOGIE TRE PIV NPOSITIO I Deect pesojo eq l B neqO ee N Nenoger N ICE Nº": 2/5

	(देखिये नियम 153 %)
जमाबन्दी (खेवट	/खतोनी)
(प्रतिलि	पे) अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2076 - 2079 जमावंदी 2076 (वर्ष 2019) से
-	अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2078 - 2070
का नाम :- बिलेण्डी	रणायो
	भूमि धारक का नाम :- राज,सरकार
बार हल्का :- मानपुरा	भूगम जो ईकाई :- हैक्टेयर
अभि.नि. :- खजूरनाकला	माता संख्या नया :- 78
सील :- अन्ता	खाता संख्या पुराना :- 78
ाला :- बारों	

ाश्तकार का न	ाम:- जक्षेक बारा वर	न विभाग हेतु हिस् जम्म वर्गीकरण	सा- पूर्ण	संस्था के लिए	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रम	पणित नामान्तरकरण	टिप्पणी
1. उप वन स ∎सरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	IN 35 C	संख्या व दिनांक		
		गे.मु.चरडा 5.8	8000	0.00				
114		गे.मु.बरडा 9.	5800	0.00				
115	W.1-	ग.मु.बरडा 7.	7000	0.00				
116	7.7000	ग.नु.चरडा 1	0.8100	0.00			12	
138		A	6300	0.00				
49	3.6300	ग.मु.बरड़ा 1) गै.मु.बरड़ा 1	13.2000	0.00				
39		The second secon	5.0000	0.00				
41	5.0000	A	6.5200	0.00				
42	6.5200		62.240	0				

कुल खमरे - 8 62.2400

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है। इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

TIM

B ued N , NGEN EYN ZIS TON AILWAY

3 auno (अशोक सनाढ्य)

अधिशाधी अभियना 1. বি. বি. ভাতত গালিনা

AGENCY	COPY
--------	------

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019

Dare	
Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6170000758
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/19/2015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	2354498/-

Amount in Words : Twenty-Three Lakh Fifty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856170000758 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
This challan is valid only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-04-2019	
Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Application No.	6170000758
MoEF/SG File No.	8B/RJ/06/19/2015
NUMBER OF THE OWNER	RAJASTHAN
Location. Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	2354498/-

Amount in Words Twenty-Three Lakh Fifty-Four Thousand Four Hundred and Ninety-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856170000758 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through

Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

TUNO . 3746 28/4/19

(Trip 10. 1) PTP/00

17-Apr-19, 11:25 A3

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

दिनांकः- 🚽 करवरी, 2017 जमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व / 2014 / Dar - 20

- आदेश -

अधीक्षण अमियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विमाग वृत्त, बारा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हैं। गैर बन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ ाहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारां के पत्र कमोक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1958 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आवेश कमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5614-20 दिनांक

18.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपार्ट) की गई है। उप वन संरक्षक, बारां द्वारा पत्र कमांक एफ()एफ.सी.ए./ उवस/14-15 / 18782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूनि को वन दिमाग के नाम आवंटन करने

की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र कमांक / एफ-4(5)(30)राजस्व / 2014 / 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाय जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

			खसरा न0	रकबा (है0)	भूमि की किस्म
क.सं.	तहसील	ग्राम	and the second se	13.20	ৰ্ত্যন্ত
-	अन्ता	बिलेण्डी	39	5.00	ৰ্যন্তভ
			41	6.52	ৰজন্ত
-			42	5.80	गैर मुमकिन बरडा
-			114	3.00	तेर नुमकिन बरडा
-			116	7.70	হুনার
	-3 -		138	10.81	র্ডান্ড র্যান্ড
	10		149	3.63	4010
		1	८ किता	62.24	गैर मुमकिन बरडा
F		सोरसन	1175	19.76	गर मुमकिन बरडा
2	4. 201		1173	19.15	गर नुनावान बर्फा
	17		2 किंता	38.91	गैर मुमकिन बरडा
6	100 -	ताखा	368	2.25	गए मुमालन बरका
6.4	100	कल योग	11 किता	103.40 80	

कुल योग निय-गनुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद किया जावे।

> (डॉ. एस. पी. सिंह) जिला कलक्टर

t_Challar

बारा

दिनांकः- 🕤 फरवरी, 2017

क्रमांकः- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ २२० १८ प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेवित हा। 1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।

2. उप वन संरक्षक, बारां। अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, वारां।

- उपखण्ड अधिकारी, अन्ता। तहसीलदार, अन्ता को भेजकर लेख है कि आवंटित प्रणे का प्रायट प्रिकार में अगम
 - दरागद कर पालना भिजवादे।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारा, अरा ।

invo voisiar a choisent.5: Rure (1963 on an Area on have

/ रहित पत्रावली।

जिला कलक्टर

1XIN

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No., 07453&230244

क्रमांक० एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022-23/ 536 दिनांक 22 1 24 निमित्त:-

अधिशापी अभियन्ता सा० नि० वि० खण्ड शाहबाद।

विषय :- जनपद वारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरचनपुरा से कालीमाटी सडक के निर्माण हेतु 2.98 हैं0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /7000/2014 (2.98ha)

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यालय लखनज का पन्न कमांक 225 दिनांक 04.08.2016 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गोरचनपुरा से कालीमाटी सडक के निर्माण हेतु 2.98 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय संद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एव पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र कमांक 225 दिनांक 04.08.2016 को जारी की गई थी । सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या-2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु घन राशि

द्र. स.		ो शर्त के 2 से चाही	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के ते अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि		जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा		
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	77	-0		करानी है।
1	2.98	00			५४ रा	राशि		
	1	104100	489018	2.98	198000	590040	489018	101022

बिन्दु संख्या – 4 के (क) के कम में NPV की राशि

ब्रे. सं.			भी शर्त के लेत दर से	अनुसार ।	र्छ स्वीकृति व NPV की वत ाही गई राशि	मान नवीन	जमा राशि	राशि जो जमा
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		करानी है।
1	2.98	626000	19651600			1.1.1.1.1.1.1.1		
		020000	18654680	2.98	957780	2854185	1865480	988705

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपन्न दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a. उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b. कुल प्रभावित क्षेत्रफल – 2.98 है0

c. NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d. शास्ती की गणना 19.08.2020 से

2.98x 4x 957780= 11416738 /-

e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

11416738x(20/100)= 2283348

Scanned by CamScanner

कुल राशि का विवरण

व्र. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	Ind North		
		and ag and	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा	
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	590040	1000010	करानी है। 101022	
	हेतु धन राशि	070010	489018		
2	NPV की राशि	2854185	10/10/		
3	दण्डात्मक राशि	the second	1865480	988705	
5		2283348	0		
	योग	5727573	2251100	2283348	
			2354498	3373075	

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 101022 + 988705 + 2283348 = 33,73,075 रू. केम्पा मद Online e- portal (https;//parivesh.nic.in/) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमेरे मुप्ता) उप वन सेंरक्षक बारां

दिनांक

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:– 1.अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर। 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक,कोटा। 3.अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

> (दीपक कुमार गुप्ता) उप वन संरक्षक बारां

	o :50612272					
			Government WAM Inner	Of Rejesthen Jouter sheet		
Department Cox	de : 65	D				2
Detailed Warn b	aumont : WAM Paymont	Department Name :	Public Works D	Department		Month/Year : Febrata
Bill For Works P	Payment : WAM Payment	(OISLBARAN)(1843)	9)			1
Vivision Name	: PWD SHAHBAD	11	toforonco No :	3902322	Warn Reference No : #1/1 of	Officet0 : 18435 -
ate	: 19/02/2024	D	ivision Code :	120	Read a v	907680
AN	: JDH001436B	0	lomand No :	44		
F	: 0.00 Northing	c	bject Head :	21	DDOCode 1 18436	
o.		0.00 N	M .	0.00	Budgot Hoad : 3054-03-337	-01-01/5F/V
The Woods	sury/Sub Treasury Officer,S			0.00	ContigencyHead :	A
Please Or	sury/Sub Treasury Officer,S rder to pay ₹ 3373075 as p	HAHBAD			1	The dosnal
	1.10	in the claim contained in	this bill	au	melota, C	अधिशाषी अभियन्ता
I certified the	at I have personally		Sign of Clerk	म्ब लीग		सार्वणनिकः किर्णायक्रिया
id parties/firm	m details mentioned in	ed and satisfied myself r	bout the end	1.51.5	या खाका र	VIII ZIIIIIIC
	Address Mobile	Bank Name Account No. IFSC Code Branch Name		Invoice No. Invoice Date(in Case Of	Gross Aret Mich	प्रशिहतिया निर्माण विभाग सार्वे सार्वे - साराबाद गाउँ० ठी० कोट नं०- १०४०२०
	Rajasthan Campa 8	UNION BANK OF	(INIC) I	Supplier)	3 Gut.	
	Bengaluru 9414286802	15085617000036	INDIA 18	1/1/1900	3373075.00 39023	22
		UBIN0996335 FCS BANGALOR		12:00:00 AM	3373075.00	
oss Amount	Rs. 3373075.00					
	rds : THIRTY THREE LAKE	SEVENTY THREE THE	DUSAND AND	-	Net Amou	int:Rs. 3373075.00
nount In Wo			NOSAND AND	SEVENTY FIVE	Only	
nount in Wo		12.				1.1.0
nount in Wo		in the second			Sign Of DDO with Sha	To submitted Estion of the
	Eor Accountant of	in the second			Sign Of DDO with Star	कि क
mitted ₹		in the second		No:	Sign Of DDO with star STE	प्रापा अभियन्ता
mitted ₹		in the second		No:	Sign Of DDO with Star STE Treasury with	प्राप्ता अभियन्ता प्राप्ताः निर्माण विभाग प्राप्तः Date याजन
mitted ₹		General Office		Pay & No: (In Words) ; FIVE ONLY	Sign Of DDO with Star 3710 Treasury web	शिषि अभियन्ता असिक निर्माण विभाग पुरुष: Dato वाद
mitted ₹		General Office		Pay t No:	Sign Of DDO with Star 3710 Treasury web	शिषि अभियन्ता असिक निर्माण विभाग पुरुष: Dato वाद
mitted ₹		General Office		Pay & No: (In Words) ; FIVE ONLY	Sign Of DDO with Star 3710 Treasury web	शिषि अभियन्ता असिए निर्माण विभाग गुरु: Date वाद
mitted ₹		General Office		Pay & No: (In Words) ; FIVE ONLY	Sign Of DDO with Star 3710 Treasury web	शिषि अभियन्ता असिक निर्माण विभाग पुरुष: Dato वाद
mitted ₹		General Office		No: Pay ₹ : (In Words) ; FIVE ONLY B.T. Heads ; Total ;	Sign Of DDO with Star 3776 Treasury with 3373075.00 31150 THIRTY THREE LAKH SEVENT	शिषि अभियन्ता असिए निर्माण विभाग गुरु: Date वाद
mitted ₹		General Office		Pay ₹ : (In Words) ; FIVE ONLY B.T. Heads ; Total (In Cash) ₹ ;	Sign Of DDO with Star STIE Treasury with 3373075.00 THIRTY THREE LAKH SEVENT	<u>शिषि अभियन्ता</u> प्रशिष्ठ निर्माण यिभाग पुरु: ^{Date} याद र्शः पार, 18438 THREE THOUSAND AND SEVEN
dmitted t bjected t		General Office		No: Pay ₹ : (In Words) ; FIVE ONLY B.T. Heads ; Total ;	Sign Of DDO with Star 3776 Treasury with 3373075.00 31150 THIRTY THREE LAKH SEVENT	शिषि अभियन्ता प्रशिष्ठ निर्माण यिभाग पुरु: Date याद र्शः पार नेक-18438 THREE THOUSAND AND SEVE

Disclaimer : All contents related to this bill are provided by Head of Office/DDO and he/ she is solely responsible for it. SW Courtsoy National Informatics centre, Rajasthan State Unit (http://paymanager.taj.nic.in) Group Name:3054 SHW

Forward Time Print Date & Time 19/02/2024 05 35 /rm

			FORM R F WA 40
	GOVERNM	ENT OF RAJASTHAN	4
	Public V	Vorks Department, Jalpur	-
No. & Date:	Datad: 10/02/000 4		PayManager Ref. Id(s): 3902322
	Dated: 19/02/2024		
Dist.BARAN)	. En. P.W.D. Div. SHAHBAD		Division Code: 18436
			_
	HAND RECEIPT HR	Payments for Govt Dept/Govt	Agency
The used as a s	(Referred to in P	WF&A Rules 418 424 426 and	429)
10 00 0300 03 0 3	24 24	cellaneous payments and advan 4 and 26 are suitable)	ces for which none of the special from
Work: Deposit an	nount (as a second		-
Work. Deposit an	mount for repatration of forest	Land of various road in PWD D	N Shahabad
Reason: N/a	ajasthan Campa 8		BillNo: 6170000368 Dated: 19/02/2024
	0 150856170000368		
			Bank IFSC Code: UBIN0996335
(In Words):Rupe	yable to the contractor or supplie ees Thirty Three Lakh Seventy	r In Figures: 33,73,075 Three Thousand Seventy Five C	- Dnly
Debit Heads / P	Payment From:		
S No.	Head Code	Am	ount Remarks
1	3054-03-337-01-01-21-V-P	and the second sec	3075 Workld: 182145
Deductions/Re	ecoveries:		
S No.	Head Code	An	nount Remarks
This Bill will b	preak in following part(s) for Pa	yManager (Fisrt column will be	RefNo to pull it on PayManager)
Ref No.	Control of the Party of the State of the Sta	and the second se	
3902322	Head Code 3054-03-337-01-01-21-V-P	Amount Cr.	Amount Dr Remarks -
	Payment Through Treasury	3373075	3373075 Workld: 182145
Net Amount P	Payable In Figures: 33,73,075	المسترية التي	
Net Amount F	Payable In Words:Rupees Thirty	Three Lakh Seventy Three Thou	usand Seventy Five Only
Certified that	t:		
2. The Paymo 3. Bank Deta 4. Nothing is 5. All formalit 6. No tools 8	has been done as per Specificati ent of this bill is not drawn previor ils of the Contractor/Supplier has outstanding against Contractor re ties & observations regarding neo Plants has been issued to the C as been used by Contractor as p	usly. been checked & verified. egarding this work. cessary entries are personally exa ontractor.	enaam Adamin
Dated:			Cro daisy m
	acmelder.		Eorose in Divisional Office
F	होय लातातात	1	अधिशाषी अभियन्ता सार्यजनिक निर्माण विभाग
er l	जान खलाफाण नि. वि. चण्ड शाहाबाग		खण्ड - शाहावाद आई॰ डी॰ कोड नंब- 18426
	and all fine at fillers.	Courtesy: https://	Wam rajasihan gov in (Printed on 2/19/2024 5 34 15 94)

- 2.1

Scanned by CamScanner

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद क्रमांकः १९५१ विनांकः १९/०२/२०२५

कार्यालय आदेश

इस खण्ड कार्यालय द्वारा Rajasthan Campa के बिल प्राप्त संख्या 6170000368 दिनांक 19.02.2024 राशि रू. 3373075.00 को बजट मद 3054-03-337-01-01-21 VP के Deposit Amount for Recontration of Forest Land of Various road in PWD Shahabad की स्वीकृति में वन विभाग Clearance


के तहत् भारित कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। (जोरेध्यनपुरा से कालीमाटी)

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद दिनांक : १९ ० २ ०२५

क्रमांक : ११५१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत/प्रेषित है:-1. उपकोषाधिकारी, उपकोष कार्यालय शाहावाद । 2. रक्षित पत्रावली ।

अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद



Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference Id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Passed For Rs 3373075/2 only [Rs Thirty Three Lakh Seventy Three Thousand. Seventy five only अधिशाषी अभियन्ता https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Neft_ChallanCorp.aspx7bla=ROAD70002014368 रगण्ड -आई॰ डी॰ कोड नं॰- 18436

Land to be allotted to Forest Department

21214	de	19
-	-1	SLI

14

	1	-	S. No.	Name Divis		me Of Teh	sil	Name of	Name of Roa				As on	- 1
THE REAL PROPERTY OF	A Designation	- Andrew -	The second secon	2				Scheme	Hanne of Noa	-	Fores	be allotte t Departme hactare)	d to	11.09.201 Remark
					Id Cases		+-	3	4		-			
			1. 201	Chhab		ipabarod	F	MGSY	पाटरी से भटगांव			б		18
6			1-1-	Shahba	id s	hahbad		MGSY	मार्गा स मटगाव मामोभी से मोहनपुर			1.50		
*			E						योग			2.60		_
5	R.	1	- 20 - 20-	Net	w Cases	-						.10		
日本	and a	-		hhabra		habra	RL	054 / IRAL DAD	हिंगलोट से मदनाखेडी वाया हो	रेपुरा		.00	-	
k.		+		hhabra	Ch	habra	5054	SHW	कोटा धरनावदा सड़क		1	.00		
and the second	k	+	3 Sł	ahbad	Kish	anganj	-	SUM	प्रत्य सं खल्दी	_	13	58		-
195		F	4 Sh	ahbad	Kisha	inganj	RIDF-	Y\mu	म्दीली से लाटखेडा 🗸		0.6	51		
		-	Sha	hbad	Kisha	nganj	(VC RIDF-)	11111	घोपुरा से जैतपुरा	100	- 3.2	0		
THE C		6	Sha	hbad	Kishar	iganj I	(VC RIDF-X	Settin .	कोतिया से साम		4.0	0		
		7	Shal	hbad	Kishan	ganj R	(VC	VIII	रूपुरा से डिर्श		7.50	0		
	-	8	Shah	bad	Shaht	ad R	(VC)	/111	ी से रामपुर उपरेटी		4.00			
	1	9	Shah	bad	Shahb	ad RI	(VC) DF-XV	142		-	2.50			
	L	10	Shaht	bad	Shahba		(VC) DF-XVI		रच –76 किमी 573/0 से पुआ	~	2.60			
	1	11	Shahb	ad	Kishanga		(VC) F-XVI	1	र से बरारा	-	0.55			-
	1	2	Shahba	-	SED	(Miss	ing Lin	ik) गरडा	से जैसवा 🗸		4.00			-
	1:	3	Shahba	and the	Kishanga Shahbad	(RS/	AMB)	वारबार	राना से बमनगवा 🗸		5.20			_
	14		Shahba	di	Kishangar		SMP	उनी व	दारयाई से सिलोरा		- Andrew Street			1
	15		Shahba		Gshangan		SMP	ख्यावद	ा से हरिपुरा		3.00		and the second second	-
	16		Shahbad		and the second division of the second divisio				॥ से किशनपुरा		1.00			
ł	17	-			lishangan	1 1/1		गोरघनप	रा से घट्टा 🗸		3.00			
t	18	_	Shahbad		ishanganj	RRSN	the second s	राण्डेमा	से हलावनी	_	0.50			
-	19	-	Shahbad		Shahbad	RRSM	_	बीलरहेल	संहलावना डांग से पाटन		2.00			
-	20	_	Shahbad	_	ihahbad	RRSN	1P	केटाजमर्भ	से मुहाल		1.00		-	
-	-	110	hahbad	Kis	shanganj	RRSM		Harra .	से मुहाल अ	1	7.00			1.
Ľ	21	S	hahbad	Kis	hanganj	RRSM	P	Terraft	त रनवासा		2.50			
2	2	SI	hahbad		hanganj			- HITTI	से रनवासा		0.80		_	
2	4	Ch				RRSMI	-	गरधनपुर	रा से कालीमाटी		3.00			
_	1	-	ahbad	Kist	hanganj	RRSMP	2	/ 500 व	गला पदटा सडक किमी. से करवाला लक्ष्मीपुरा				-	
24	+-		ahbad	100000	anganj	RRSMP	4	रवरी ख	र्व से बामनटेह		2.00			
26	+	10110	hbad		anganj	RRSMP	ल	कडाई र	ने मामली वाया दुर्जनपुरा	1.	4.20			
	-	and	noad	Kishi	anganj	RRSMP	मा	गली लह	मीपुरा पटपडी सडक	1	1.00	1000		
27	-	Shal	hbad	Shal	hbad	RIDF-XVIII	1510	तपुर गांध	डेयर सहक किलाव	3	.00			
8	NH	Di	vision	Ab	ru -	(VC)	104	रटा) स	ईसाटोरी	4	00		1	
w	DOC		Auto a				कव	12		3	25	-		

PWD circle Baran

LA L

24 25 26

27

28 4

D-\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September_2014\Forest\Copy of forest_information_17 Coloums_Circle Baran_11.09.2014

See.

and the states


A STATE AND A STAT

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2	1 1	3			
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया	6	18
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	. 1.02	4.9
31	NH Division	Chipabarod			1.21	_
32	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	0.44	
33	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर नयापुरा	1.66	-
+				योग	4.92	-
-				कुल योग	98.24	-
				3	102.34	

(युनिसे माखुर) अधीवण अभियंता वार्वनिवर्षिक वृत बीत्त

Sec. Pra

D:\MY DOCUMENT\Documents and Settings\SM\September_2014\Forest\Copy of forest_information_17 Coldums_Orcle Baran_11.09.2014



der documents and all other e downloaded from the web

Arector(Tender Inviting Auth

SUPPLY OF STORES ITEMS "THROUGH E- PROCUREMENT TENDERS" 20/28 Date: 09.09.2020

sh Western Railway, headquarter 4th Jalour-302017 for and on behalf of nders on www.ireps.gov.in site as 14.25 hrs.

1659

Minded

Day

Daity

Daily

Daily

Daily

Daily

Daily

Sunday,

Friday

Tuesday,

Sunday

Daily

Daily

Monday,

Wednesday

Thursday,

Saturday

Daily

Daily

absite "www.indianrail.gov.in"

accommodation is available

to follow all protocols related to

From

From

From

13.09.20

From

14.09.20

From

17.09.20

From

12.09.20

Fram

13.09.20

754-AJ/20

Clause

Due Date

BRAKE

STOCK

BOTTOM

SHANK

DUM

atice No

2020

To

Ajmer

labalpur

Jaipur

rayagraj

Lalgarh

Bikaner

14:20 Hrs

1 : 08:35 Hirs

#: 12:40 Hrs

: 05:25 Hrs.

05.45 Hrs

Charth

: 06:50 Hrs

shvantpur

: 03:15 Hrs

Sarai Rohilla

05:20 Hrs.

II = 10:15 Hrs.

15:30 Hrs

06:15 Hrs

our central

09:25 Hrs

stancing etc. ays NWRallways

11-35 Hrs.


Jodhpur

Mysore

Jalpur

hiwani

T5:55 Hrs



Petronet LNG Limited (PLL) invites bids from experienced and financially sound contractors to following services at Petronet LNG Ltd., Dame (Guarat)

2. Replacement of GI Roof Sheet

3. Maintenance Dredging Services

्रम कार्यम् अगरण को कार्यवाई राज्य सरकार द्वारा तह तक वहीं की जायेगी जब तक प्रत्यभूमि हस्तानारण के विधियत् आदेश भारत सरकार

60

That none of its officials entered the premises by threatening or roughing up the security guard er anyone else.

The "Queen" actor's recent remark comparing Mumbai to Pakistan-occupied-Kashmir (PoK) has drawn the ire of the Shiv Sena which controls the BMC besides leading the ruling coalition in Maharashtra.

The action by the BMC followed Ranaut's public tiff with the party. PTI

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest and Climate Change Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340, 2324047, 2324025 Email : (Env.)m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com feater : 04.08.2016 जमपद वारन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना को नहत गोरयमपुरा से कालीमाडरे तक सङ्घक निर्माण हेतु 2.98 ह अति, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोहल अधिकारी, जयपुर का प्रजाज- एजरा4 (Baran Road)/2014/ जगरेका विषय पर संदर्भित ओवलाईन आयंदन का आशय ग्रहण बजने का याथ्य करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर बन अगरपाइन जनलब्द बाराज प्रभाव। प्रकारण भें इस कार्यालय के समसंग्रीय पत्र दितांक 04.12.2015 द्वारा अतिरियन मुचना कही गयी थी जिसकी अनुपालन आग्रया अति. प्रमुख अकरण महान कामालम के समस्यक अभ मदनाक एक उड़ाउटा हे द्वारा जनसंखा नुष्पा कारने तथा मा गलका जनुमालन जनका जान अनुव मुख्य वन संरह्मक एवं नोइल अधिकारी, राजस्थान के जररांका संदर्भित एवं द्वारा चानुन की गयी है। प्रस्तुन को गयी अनुवालना पर विखारांपरान गुभन का राज के पूर्व में इत जानकारा, में बाल्या के जातना सहार पर के बाद गुम का नगर के जानून का नगर जानूनात्मा म मुझे आपको यह मुखित करने का निर्देश हुआ है कि कॉन्ड सरकार जनपढ़ वानन में आर आर एस एस एस पी. यो तना को तहत भोर धनपुरा से कालीमाटी ुत्त सहक निर्माण हेतु 2.98 ई. वन् भूमि के प्रत्यावतंत्र एवं 55 वृक्षों के पालन को से उपन्तार एस राष्ट्र भार भारतमा क सहत नार भनभूम क काल नक सहक निर्माण हेतु 2.98 ई. वन् भूमि के प्रत्यावतंत्र एवं 55 वृक्षों के पालन को से उपनिय ग्रांवीकुति विष्ठतिराधन कार्यो हे प्रयोधना अभिकेरण द्वारा यन पिभाग को पक्ष में द्वभाषित यन क्षेत्र को समतुत्य में? जनभूमि अर्थात 2.96 ई. पा क्षतिपुर क. सुकारोपण ग्रंथ 10 सर्थ ः वयापता आगण्डरथ द्वारा वदात्र भाग भाग्यत व वत्रात्र वा वाद प्राणान्त्र प्राणाः व पूर्ण अवत्र र व्या कृत्य प्र तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रायत्तित वर्ता को समाहित बरते हुए यहा संप्राधित) श्रायवं ३,८४,४७७ - (2,98 ई. x स्वयं 1,29,150 भारतः, उभ नमा भारत्वा भारतः उक्त भुधि वन विधाण के स्वाधित्व के बाहर को है । इसे वन विभाग को पक्ष में इस्तानारण एवं नामानरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छ. भाह में उत्तर मुस्टिय स्वयं के स्वयंत्र में बाहित का है। इस जनाव भाग का रख व इत्याना पर एवं नावाना के स्वयंत वाद का भाग का क आरंक्षित, संरक्षित वह भूषि धाषित किया आवेगा। भूषि का इस्तालर या एवं भाषाना एा करने के प्रत्यान इस कार्यालय द्वारा विधियत् स्वीकृति अतिपुरक वृक्षातीयमा होतु जो समेकित क्षेत्र (१०३.४ ह.) लिया गया है. उमका हितिहान मानविय नोडल अधिकारी द्वारा अपलांत त्रकथा आग्रमा । ४. प्रयोक्श अधिकरण द्वारा मार्क्सीय उम्मलम माधालय के रिंड पिडीशाप (सिर्गपल) 202/1995 को अन्तर्गत आई.ए. संख्या 666 एथे भारत क प्रधानमा आवकाराव द्वारा आवनाव व्यवतन वालामा क गढ प्रधानन (मानवन) २०३२ राज्य क जनारत अहर, राज्य 200 एक मानव सांस्वरा के पत्र संख्या 5-3 /2007-एमासी, दिगांक 05.02.2009 के लहन में हिंचे गये आदेशानुस्तार शुद्ध कर्तमाव मुल्य (एन.पी.ची.) की रामगात करने १८४३ स्टब्स व्याप्त २७४६ र १९४० व्याप्त २०४६ र वजावा व्याप्त व्याप्त व्याप्त हो । इसके त्यराज धावनी की छायार्थात क्या की ग्ली धपतीय की ऑनलाईन स्मीद वैक द्वाप्त, आर.ती.जी एस, एन.ई.म्फ.टी.(जो भी सायू से) जना वापार्थन सहित निद्धानिक स्वीकृति की अनुपालन आरखा (जिसमें क्या की वर्ज धनरागिर का भएवार विवरण अर्थात् एन. से. वी. क्षतिपुर क Savon (अशोफ सनाइय) मारकामा भारत्य करने के अन्य संस्थान करने करने करने हैं। 9. प्रयोक्ता अधिकरण एवं गांज्य सरकार वर्तमान त्या भविष्य में योजना पर लागु सभी निग्रम, करनून तथा दिशा निर्देशों कर पालन करेती। अ क्यानाम नगरवा यो प्रथा गांच्या पांच्या वाग्या गांवाच्या का वाग्या का वाग्या वाग्या वा प्रथा गांच्या वाग्या व उपरांका मध्ये प्रात्ती की परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुध्यप्ट परिप्रतान आएका इत कार्यालय को पत्र IV/IC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिवॉक अविशामी अमियना त्र का बरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने था ही बन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहन विधियत स्वीकृति जारी की आधीर्या त्यानक विधाय

> भवतीय (अधिन मिठा) उप वन मरक्षक (कंन्द्रीय)



1, लखनऊ-226024 Aliganj, Lucknow-243 ट्रन्ट 2324025 imoefrolko@gmail.com दिनांक :- 23.08.2016

/6954/2014

त जलवाड़ा से किशनपुरा तक 5 पातन की अनुमति हेतु। री, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 क 06 07.2016

का आशय ग्रहण करने का लण) अधिनियम, 1980 की गी है एवं अतिरिक्त सूचना ई गई है।

का निर्देश हुआ है कि केन्द्र तहत जलवाड़ा से किशनपुरा न बिना वृक्षों के पातन की -

वेत वन क्षेत्र के समतुल्य जैर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु

JILI

हुए यथासंशोधित) रूपये-देल्ली में जाम की जाएगी। विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण ं आरक्षित/संरक्षित वन भूमि रुरने के पश्चात इस कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

पत्रिका ब्यूरो

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324347, 2324025 Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com पत्र सं. 8बी/राज./06/19/2015/एफ.सी./225 दिनांक :- 04.08.2016 सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)

सिविल सचिवालय राजस्थान शासन जयपुर।

ऑनलाइन आवेदन संख्या- FP/RJ/Road/7000/2014

विषय :- जनपद बांरन में आर .आर .एस .एम .पी . योजना के तहत गौरधनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2 .98 है . वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर का पत्रांक-एफ 14 (Baran Road)/2014/एफ .सी.ए./प्रमुवसं/1971, दिनांक 06.07.2016 महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित ऑनलाईन आवेदन का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांजी है एवं अतिरिक्त सूचना दिनांक -09 फरवरी 2016 को ऑनलाईन उपलब्ध कराई जई है।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक :- 04.12.2015 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गई है जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत की गई अनुपालना पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद बांरन में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत गोरघनपुरा से कालीमाटी तक सड़क निर्माण हेतु 2.98 हे. वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 55 वृक्षों के पातन की संखान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है।

1. वन भूमि वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य जैर वनभूमि अर्थात 2.98 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) रूपये-3,84,867/- (2.98 हे.×Rs.1,29,150 हे.) में जमा की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया जया है, उसका डिजिटल

देल्ली में जाम की जाएगी। विभाग के पदा में हस्तान्तरण में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घरने के पश्चात इस कार्यालय

लिया गया है, उसका डिजिटल

य के रिट पिटीशन (सिविल) गर के पक्ष संख्या 5-3/2007-शानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य .xRs. 6.26 Lakh per

धनराशि की ऑनलाईन गगू हो) की छायाप्रति सहित की गई धनराशि का मदवार न्य हेने जमा धनराशि का गत स्वीकृति पर विचार किया

ोमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन न 4'' फीट ऊंचे आर.सी.सी. क डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, र निकटवर्ती पीलरों से दूरी

प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा

ता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि र हरित अधिकरण (NGT) 015 बाबूलाल जाजू बनाम ? आदेश की अनुपालना में ग की निगरानी में सड़क के रोपफ किया जाएगा। भविष्य में योजना पर लाग

ष्ट परिपालन आख्या इस 1227 दिनांक - 02 फरवरी, यम, 1980 के तहत विधिवत तान्तरण की कार्यवाही राज्य स्तान्तरण के विधिवत आदेश

भवदीय

(अमित मिश्र) उप वन संरक्षक (केन्द्रीय) 4,001/- (2.96 6.×K5.1,29,100 8.) H जमा का जाएगा

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो समेकित क्षेत्र (103.4 हे.) लिया गया है, उसका डिजिटल मानचित्र नोडल अधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पक्ष संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिए जए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये-18.654 लाख (2.98 ha.xRs. 6.26 Lakh per ha.) में जमा की जाएगी।

इसके उपरांत पावती की छांयाप्रति, जमा की गई धनराशि की ऑनलाईन रसीद/बैंक इप्पट/आर.दी.जी.एस. /एन.एफ.टी (जो भी लागू हो) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबन्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. विधिवत स्वीकृति के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। वह सीमांकन 4" फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक, Backward and Farward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मंक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

8. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत करेंगे कि आई.आर.सी. के मानकों के अनुरूप तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) सैंट्रल जोन बैंच, भोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या-27/2015 बाबूलाल जाजू बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक -16.11.2015 में दिए गए आदेश की अनुपालना में प्रयोक्ता में अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर वन विभाग की निगरानी में सड़क के दोनों तरफ तथा Median पर (यदि उपलब्ध है तो) वृक्षारोपण किया जाएगा।

 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दूवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक - 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते।

भवदीय

(अमित मिश्र) उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

ाशित। सम्पादक-कुश कुमार मिश्रा फोन नम्बर 07453-231509, 236563, Email Id :- patrikabeauro@gmail.com *



